

FORM-I

(for linear projects)

Govt. of H.P.

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR, DISTT. SIRMAUR AT NAHAN, H.P.

Dated. 26-08-21

No.....

TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In the compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 29-05 bigha (2-46-57 hect.) of forest land proposed to be diverted for Link Road from Kotli to Draina falls within jurisdiction of mauza Draina and Sanohat villages Tehsil Rajgarh District Sirmaur.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 29-05 **bigha (2-46-57 hect.)** forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s)/FRC(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure- **A, B and C.**
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas/FRCs have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.



District Collector
District Sirmaur at Nahan.

No. Peshi-II-8(FRA)/2021- 164138
Dated, Nahan, the 3/9/21
Executive Engineer,
HPPWD, Rajgarh, District Sirmaur

FORM-1
(for linear projects)
Government of----
Office of The Sub Divisional Collector Rajgarh
No- Dated-

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF) Government of Indias letter No. 11-9/98- FC (pt) dated 3rd August, 2009 wherein the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non- forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that ~~2.46~~ Hac. of forest land proposed to be diverted in favour of H.P.P.W.D (name of user agency) for Construction of Road Neri kotli, Sanoht. Draina (purpose for diversion of forest land) in Sirmour District falls within jurisdiction of Draina and Sanohat villages (s) in Tehsil Rajgarh.

It is further certified that:-

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire ~~2.46~~ Hac. of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest rights committee (s) Gram Sabha (s) Sub Division level committee (s) and the District level committee are enclosed as annexure-----to--annexure-----
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
- (c) the proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribel Groups and pre agricultural communities.

Enclosed- As above.

Collector,
Sub Division Rajgarh,
Dist. Sirmour H.P.
जिला सिरमौर (हि० प्र०)




दिनांक 07-08-2021 को उप-मण्डलाधिकारी (ना0), राजगढ़ की अध्यक्षता में आयोजित उप-मण्डलीय वन अधिकार समिति राजगढ़ की बैठक से सम्बन्धित कार्यवाही रिपोर्ट

प्रस्ताव संख्या-1 कोटली से डरेना ग्राम नेरी कोटली, सनोहत व डरेना सड़क निर्माण बारे वन विभाग की भूमि में हि0प्र0 लोक निर्माण विभाग राजगढ़ में सड़क निर्माण बारे।

सभी हाजिर आए सदस्यों के समक्ष कोटली से डरेना ग्राम नेरी कोटली, सनोहत व डरेना सड़क निर्माण बारे वन विभाग की भूमि में हि0प्र0 लोक निर्माण विभाग राजगढ़ में सड़क निर्माण बारे चर्चा की गई जिसमें हि0प्र0 लोक निर्माण विभाग राजगढ़ द्वारा कोटली सनोहत, डरेना सड़क का जनहित में निर्माण किया जाना है यह सड़क ग्राम पंचायत नेरी कोटली, पटवार वृत्त भाणत मौजा नेरी कोटली खसरा न0 755/1 रकबा तादादी 6-18 वीघा, मौजा सनोहत खसरा न0 422/390/380/104/1 रकबा तादादी 01-07 वीघा, 349/1 रकबा तादादी 04-08 वीघा, खसरा न0 392/374/338/1 रकबा तादादी 05-07 वीघा किते 3 रकबा तादादी 11-02 वीघा, मौजा डरेना खसरा न0 195/11/1 रकबा तादादी 3-18, खसरा न0 183/1 रकबा तादादी 07-07 वीघा किते 2 रकबा तादादी 11-05 वीघा कुल योग रकबा 29-05 वीघा में निर्मित होना प्रस्तावित है। इस विषय में वन अधिकार समिति मौजा गाँव व मौजा डरेना प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 04-12-2019 व वन अधिकार समिति राजस्व ग्राम सनोहत प्रस्ताव संख्या शून्य दिनांक 08-12-2019 प्राप्त हुए हैं। जिसके अनुसार सम्बन्धित वन अधिकार समिति व ग्राम सभा से प्राप्त प्रस्ताव से यह स्पष्ट होता है कि उपरोक्त कोटली से डरेना ग्राम नेरी कोटली, सनोहत व डरेना सड़क निर्माण बारे किसी भी ग्रामवासी को कोई आपत्ती नहीं है जिस आशय का प्रस्ताव उनके द्वारा पारित किये गये हैं।

अतः उप-मण्डलीय वन अधिकार समिति यह प्रस्ताव पारित करती है कि यदि उपायुक्त महोदय जिला सिरमौर, जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग राजगढ़ को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करते हैं तो इस समिति को कोई आपत्ति नहीं होगी।


हस्ताक्षर सदस्य सचिव,
Rajgarh, Distt. Sirmour (H.P.)

उप-मण्डलाधिकारी (ना0)
राजगढ़, जिला सिरमौर, हि.प्र.।



दिनांक 07-08-2021 को श्री सुरेन्द्र मोहन , उप मण्डलाधिकारी(ना0) राजगढ़ की अध्यक्षता में इस कार्यालय में वन विभाग की भूमि हि0प्र0 लोक निर्माण विभाग राजगढ़ कोटली से डरैणा ग्राम नेरी कोटली,सनोहत व डरैणा सडक हेतु वन अधिकार समिति राजगढ़ की बैठक का आयोजन किया गया जिसमें निम्नलिखित अधिकारी / कर्मचारी उपस्थित हुए:-

क्रम संख्या	नाम अधिकारी	पद अधिकारी	मोबाईल नम्बर	हस्ताक्षर
1.	शुभ लाल गुल	ना. व. व. व.	98165-35483	
2.	श्याम दत्त	वन पारिक्षित आयुर्वारी	94183 20661	Shyam Dutt Ro Rajgarh
3.	जितेंद्र कुमार	सदस्य	9816025734	
4.	सरोज शर्मा	सदस्य	9805481550	
5.	प्रदीप कुमार	सदस्य	7807512281	

उप-मण्डलाधिकारी (ना0)
राजगढ़, जिला सिरसौर (हि0 प्र0)





सत्यमेव जयते

वन्दे मातरम्

सत्यमेव जयते

कार्यालय ग्राम पंचायत नेरी कोटली

विकास खण्ड राजगढ़ - 173 101

प्रबालय शाया चबरोन, तह0 राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

प्रस्ताव प्रतिलिपि कार्यवाही

आज दिनांक 5/4/2020 को ग्राम पंचायत नेरी कोटली की ग्राम सभा बैठक श्रीमति ... प्रधान

ग्राम पंचायत, नेरी कोटली की अध्यक्षता में होकर निम्न कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रस्ताव संख्या :- (3)

कोरम :- 155 /

विषय :- आनापनी पत्रालय - पत्र बार्

बैंक में राशि उपलब्ध हो सकती है प्रस्ताव जाति किया जाता है कि
 किन्हीं बैंक कोटली स्टाफ्ट इन्फो से प्रोसेस राइट्स जमा
 बैंक इन्फो रावम बैंक स्टाफ्ट द्वारा सहाय प्रस्ताव उपलब्ध
 किन्हीं बैंक से ग्राम पंचायत को प्रस्तुत किया गया
 ग्राम पंचायत द्वारा दावा राशि आपत्तियों से उपलब्ध विषय को
 सचवा पट पट पदवीय कले के इच्छित ग्राम सभा के
 समल प्रस्तुत किया गया। बैंक ने उपलब्ध किन्हीं बैंक
 से सहाय सहाय भी राशि को दावा व आपत्त
 प्रस्तुत की है। बैंक आनापनी पत्रालय पत्रालय आनापनी
 कार्यवाही से पत्रालय है।

जि. ए.
 13/4/2020

प्रमाणित किया जाता है कि, नकल मुताबिक कार्यवाही रजिस्टर में दर्ज मूल प्रस्ताव के अनुसार सही है।
 विकास खण्ड, राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

अनुप्रमाणित
 प्ररीक्षक



फॉरेस्ट राइट्स कमेटी गाँव व मौजा उरेणा

ग्राम पंचायत नेरी कोटली

पत्रालय शाखा - चबरोन, तहसील : राजगढ़ जिला : सिरमौर (डि० प्र०) पिन - 173101

सम्पर्क सूत्र : प्रधान : +91 83528-32708, सचिव : +91 98165-82043,

①

पत्रांक.....

मकल प्रस्ताव: दि० 19-12-2019

दिनांक:.....

उपस्थिती: 88/130

प्रस्ताव नं. 2. कोटली - सनोस्त - उरेणा सड़क निर्माण कोर सहमती प्रस्ताव

(वन अधिकार समिति) फॉरेस्ट राइट्स कमेटी ग्राम व मौजा उरेणा के आज दिनांक 19-12-2019 को सोय 2 बजे स्थान - उरेणा में प्रधान श्री शमशेर के अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई जिसमें लोक निर्माण विभाग डिप्टी राजगढ़ डिविजन द्वारा कोटली - सनोस्त उरेणा सड़क का जन हित में निर्माण कार्य किया जाना इस सड़क निर्माण में मौजा उरेणा की वन भूमि क्षेत्र को और वानिकी उद्देश्य (सर्वजनित सड़क निर्माण) से उपयोग में लाने के लिये परिवर्तित करने हेतु प्राप्त प्रस्तावना पर विचार विमर्श किया गया।

इस सड़क निर्माण कोर उपस्थित सभी कमेटी के लोगों के निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली वन भूमि की सीमाओं तथा भूगोलिकता से अवगत कराया गया। उन से अनापत्ति के बंधे गत बैठक में काम चिंत किया गया है।

इस प्रस्तावित निर्माण कार्य के कार्यान्वयन से अनुसूचित जनजाति कोर अन्य परम्परागत वन निवासी कथिनियम 2006 व 2008 के अन्तर्गत सभी लोगों से बंधे काम चिंत किया गया। परन्तु वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम के अन्तर्गत कोई दावा प्रस्तुत नहीं हुआ व न ही कोई दावा किसी स्तर पर विचारधीन है।

इस सड़क निर्माण कार्य से किसी भी वन निवासी के हक प्रभावित नहीं होते तथा किसी भी अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी को इस सड़क निर्माण पर कोई आपत्ति नहीं है। यह भी कमेटी सुनिश्चित करती है कि प्रस्तावित सड़क निर्माण से जल स्रोतों व जलवायु परिवर्तन पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता।

अतः फॉरेस्ट राइट्स कमेटी गाँव व मौजा उरेणा के सभी सदस्य सड़क निर्माण कार्य को अपनी सहमती प्रदान करते हैं।

अतः इस प्रस्ताव के माध्यम से ग्राम पंचायत नेरी कोटली विद्युत् खण्ड राजगढ़ जिला छिंदीर डिप्टी से अनुरोध है कि इस सड़क निर्माण कोर अपनी सहमती सहित विभाग, लोक निर्माण विभाग राजगढ़ डिविजन को कमेटी के प्रस्ताव सहित कगामी कार्रवाई हेतु प्रस्तुत कर ताकि उप-महत्त्वपूर्ण स्तर की वन अधिकार कमेटी इसपर आवश्यक विचार कर कगामी जन हित में कार्रवाई कर सके।

प्रस्तावित किया जाता है कि, मकल प्रस्ताव इसल के अनुसूचित व सही है।
21/12/2019

अनुप्रमाणित
परीक्षक

फॉरेस्ट राइट्स कमेटी
गाँव व मौजा उरेणा
पंचायत नेरी गाँव

12/2019 को फॉरेस्ट राइट्स कमेटी
 आज-दिनांक मीजा व भोजा डरेया ग्राम पंचायत नरी कोरली
 राज्या जिला हिला हिला की बैठक गामु
 डरेया में बाद दोपहर 2 बजे पुष्पा की शमशेर
 को अध्यक्षता के रूप में आयोजित की गयी
 इस बैठक में सर्वे उपस्थित कमेटी के
 सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित की गई
 एवं कमेटी की प्रस्ताव पुस्तिका में उपस्थित
 सभी सदस्यों के हस्ताक्षर किए गए।
 आज की इस कमेटी की
 बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित हुए
 (कुल उपस्थित): 88/130

इस बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों व ग्राम वादियों
 की टाजरियां व हस्ताक्षर निम्न प्रकार से हैं।

क्रम संख्या - नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1 शमशेर सिंह	अध्यक्ष	शमशेर सिंह
2 राजेश कुमार	सचिव	
3 सुभाष चन्द	सदस्य	सुभाष
4 उमेश प्रकाश	"	Om Prakash
5 कुलदीप	"	कुलदीप सिंह
6 प्रदीप	"	प्रदीप कुमार
7 जायराज	"	Jai Ram
8 अखिल	"	Akhil
9 मन्जु देवी	"	Manju
10 सीमा देवी	"	सीमा
11 रीना देवी	"	रीना देवी
12 सुमन देवी	"	"
13 पुनम देवी	" शमशेर सिंह	Punam Devi
14 अल्पना देवी	सचिव	अल्पना
15 अर्चना देवी	फॉरेस्ट राइट्स कमेटी मीजा व गांव डरेया पंचायत नरी कोरली	अर्चना



क्रमांक	नाम	पिता/पति	नाम
1	कपिल देव	विपिनानन्द	Kapil
2	जितेन्द्र ठाकुर	प्रिलभ सिंह	Jitendra Thakur
3	जय प्रकाश	जसवन्त सिंह	Jai Prakash
4	नितेश ठाकुर	देविन्द्र ठाकुर	Nitesh Thakur
5	सुमन देवी	राकेश	सुमन देवी
6	बबली	जगमेश	सुमन देवी
7	पुनम देवी	सुआश	पुनम देवी
8	सुआश	रूप राम	Sushash
9	जगमेश	मन्मोहन	Jagmohan
10	राधा देवी	विशान सिंह	राधा
11	देविन्द्र ठाकुर	रूप राम	देविन्द्र
12	जतिराम	दयाल राम	Jatiram
13	बिहारी देवी	दयाल राम	बिहारी देवी
14	रीता देवी	जैशम	रीता देवी
15	रजनी देवी	इन्दर प्रकाश	रजनी देवी
16	विनोद कुमार	कावलराम	विनोद कुमार
17	लीला देवी	कैषणराम	लीला देवी
18	कवलराम	जगू राम	कवलराम
19	वीना देवी	विनोद कुमार	वीना देवी
20	इन्दर प्रकाश	कावलराम	इन्दर
21	निताल	सुआश	Nital
22	सुआश	सुआश	Akshay
23	दशराज	गणेशराम	दशराज
24	इन्द्रा देवी	दशराज	Indira
25	रणदीप	जगेंद्र सिंह	रणदीप
26	अरुण	रणदीप	अरुण
27	सुरेश कुमार	धर्म सिंह	Suresh
28	रविश कुमार	धर्म सिंह	Ravish
29	लता देवी	सुरेश कुमार	Lata Devi
30	रजनी	राकेश	रजनी
31	प्रदीप	इन्दर सिंह	Pradeep
32	इन्दर सिंह	सुआश	Indersingh

अनुप्रमाणित

प्रमाणित

सचिव
 श्री. राकेश कुमार
 श्री. जय प्रकाश ठाकुर
 श्री. विनोद कुमार

क्र.सं.	नाम	पिता/पति	नाम
33	सुमन देवी	प्रितम सिंह	सुमन देवी
34	विमला देवी	जसवन्त सिंह	विमला
35	दया देवी	देविन्दर ठाकुर	दया देवी
36	मीरा देवी	इन्दर सिंह	मीरा देवी
37	वितेश	दयाराम	वितेश
38	दयाराम देवी	दयाराम	दयाराम देवी
39	नीलम देवी	वितेश	नीलम
40	दयाराम	अप सिंह	दयाराम
41	सुनीता	कैलारा	Sthakur
42	कैलारा	हो धर्म सिंह	Kailash
43	शीला	इलीप सिंह	कुशिता
44	इलीप सिंह	धर्म सिंह	इलीप सिंह
45	रणधीर	सुन्दर सिंह	खदीप-ठाकुर
46	रत्नवा देवी	रणधीर ठाकुर	रंजना ठाकुर
47	दया देवी	सुन्दर सिंह	दया देवी
48	सुन्दर सिंह	आलम राम	सुन्दर सिंह
49	बालपना	सुख देव	कल्पना देवी
50	सुख देव	दोहरा राम	सुख देव
51	कल्पना कल्पना	रवजान सिंह	Kalpana
52	अशिका	रवजान सिंह	Anika
53	उमा देवी	रवजान सिंह	उमा देवी
54	शिवानी	रवजान सिंह	Shivani
55	सपना	श्री देविन्दर	सपना
56	सुनीता देवी	श्री प्रितम सिंह	सुनीता देवी
57	साधना देवी	श्री राजेश	साधना
58	प्रियंका	श्री देविन्दर	प्रियंका ठाकुर
59	हारणा देवी	श्री अपराम शर्मा	हारणा
60	सरोचना	लक्ष्म	सरोचना
61	शकर	नतु	शेकराम
62	शीमा देवी	सन्दीप कुमार	शीमा
63	सुमा देवी	वरीरतु	
64	बीणा	सुरेश कुमार	बीणा

प्रो. ए. राईटस कमेटी
 भौजा ब गांव इरणा
 पंचायत नीम बाटेनी

अनुप्रमाणित
 प्रमाणित



65 राजकुमार	लक्ष्मी सिंह	संजय
66 राजकुमार	लक्ष्मी सिंह	
67 लक्ष्मी सिंह	गणु राम	लक्ष्मी सिंह
68 प्रताप सिंह	बस्ती राम	प्रताप सिंह
69 सन्तोष देवी	प्रताप सिंह	सन्तोष देवी
70 अनु देवी	सन्तोष कुमार	अनु देवी
71 देवराज	प्रताप सिंह	देवराज
72 मन्ना	देवराज	मन्ना
73 दिवेश	रमजीत सिंह	दिवेश
74 कल्पना	बुलदीप सिंह	कल्पना
75 देव प्रकाश	विशाल सिंह	देव प्रकाश
76 सुषमा देवी	देव प्रकाश	सुषमा
77 संजय	प्रताप सिंह	संजय
78 मदन सिंह	जाती राम	मदन सिंह
79 परीक्षा देवी	मदन सिंह	परीक्षा
80 ऊषा देवी	हरदेव सिंह	ऊषा
81 रामप्रकाश	विशाल सिंह	
82 सुषमा	रामप्रकाश	
83 विद्या देवी	जगमोहन सिंह	विद्या देवी
84 राजकुमार	हेतराम	
85 भीरादेवी (पूर्व प्रधान)	राजकुमार	
86 सुरेन्द्र	शृष्ट	सुरेन्द्र
87 बुलदीप सिंह	जगमोहन सिंह	बुलदीप
88 सुरजीत सिंह		

सुरेश सिंह
मन्त्रि
क्रिस्ट रोड्स कमेटी
भोजा व गांव डरेपा
पंचायत नेरी कोटली

अनुप्रमाणित
परीक्षक

पदवी नं-1. गत कार्यवाही सुविधि: समुद्रपणित
के समक्ष गत कार्यवाही की सुविधि
पदी ही सभी न सनाप एपका
कार्य न। की सुविधि की ।

स्ताव नं. 2 कोटली-सनेहत-डरेणा सडक निर्माण
 लेर सहमती प्रस्ताव।
 (वन अधिकार समिति) फॉरेस्ट रीडर्स
 कमेटी गोव व मोजा डरेणा की काज
 दिनांक 10/07/2008 को सोय 2 बजे स्थान- डरेणा में
 प्रधान श्री शमशेर की अध्यक्षता में बैठक
 आयोजित की गई। जिसमें लोक निर्माण
 विभाग हिस्पर राजगढ़ डकियन द्वारा कोटली
 सनेहत-डरेणा सडक का जन हित में निर्माण
 कार्य किया जाना है। इस सडक निर्माण के
 मोजा डरेणा की वन भूमि क्षेत्र का गैर
 वानिकी उद्देश्य (सडक यथावत् सडक निर्माण)
 से उपयोग में लाने के लिये परिवर्तित
 काम हेतु प्राप्त प्रस्तावना पर विचार विमर्श
 किया गया।

इस सडक निर्माण कोर उपस्थित सभी
 कमेटी के लोगों को निर्माण कार्य के
 आगत होने वाली वन भूमि की सीमाओं
 तथा जंगल/डिहाल से अलग किया गया।
 इनके अनापत्त के द्वारा आगन्तव्य किया
 गया। इस प्रस्तावित निर्माण कार्य के
 कार्यकन्धन से अनुसूचित जन जाति कोर
 अन्य परंपरागत वन निवासी आध्यात्मिक 2008
 व 2008 के आगत सभी लोगों से विशेष
 आगन्तव्य किया गया। परन्तु वन अधिकार
 का आगत आध्यात्मिक के आगत कोर
 दावा प्रस्तुत नहीं हुआ व न ही कोई दावा
 किसी लेर पर निवासी पति है। इस सडक
 निर्माण कार्य के लिये वन निवासी के
 एक अनापत्त नहीं होते तथा किसी भी
 अनुसूचित जन जाति कोर अन्य परंपरागत

सचिव
 फॉरेस्ट रीडर्स कमेटी
 मोजा व मज डरेणा
 पंचायत नगी डरेणा

अनुप्रमाणित
 10/07/2008

कम निवासी को इस सड़क निर्माण पर कोई आपत्ति नहीं यह भी कोर्ट (सिद्धांत) करती है कि प्रस्तावित सड़क निर्माण से जल स्रोतों व जलवायु परिवर्तन पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा।

आज केरेल राइट्स कमिटी गंत व मौजा डेवा के सभी सदस्य सड़क निर्माण कार्य के काफी सहमति ज्ञान कर चुके हैं। आज इस प्रस्ताव के माध्यम से ग्राम पंचायत नेरी कोरली विकास खण्ड राजगढ़ जिला सिलोराहिल से जुड़े हुए है कि इस सड़क निर्माण का काफी सहमति ~~सिद्धांत~~ सिद्धांत विभाग. लोक निर्माण विभाग राजगढ़ जिला के कमिटी के प्रस्ताव सहित करार कराना है। प्रस्ताव का ताकत उप-महलाम स्तर की वन आदेश का कमिटी इस पर आवश्यक शिर्षक को ~~को~~ करार जनरल से करार कर सकें।

सद्वि

सामकोर

फोरेस्ट राइट्स कमिटी मौजा व गांव डेरेणा पंचायत नेरी कोरली

प्रस्ताव न-3 मौजा घाम निर्माण करे सहमति। अब सम्मति से कमिटी की बैठक में निर्णय लिया गया कि राजगढ़ विकास खण्ड द्वारा मौजा घाम निर्माण ग्राम पंचायत नेरी कोरली के माध्यम से प्रस्तावित है। इस के निर्माण मौजा डेरेणा के वन क्षेत्र के अशोणिया खंड के दो स्थानों पर किया जाना प्रस्तावित है। इस कोर कमिटी द्वारा सदस्यों से आपत्तियों के दाये आमन्त्रित किए गये थे किता भी स्वस्थ को आपत्ति नहीं। न ही इसके निर्माण से जल स्रोतों व जलवायु परिवर्तन पर कोई दुष्प्रभाव ~~पड़ता~~ पड़ता है। निवासी अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत वन निवासी के हक को प्रभावित प्रभावित होता है। अतः वन आदेश का मान्यता ~~आदेश~~ आदेश 2008

अनुसूचित अधिक

के अन्तर्गत सभी उपखिात ^(शाही) सारथ्य इत्येक निर्माण के लिये सहमत है।

अतः इस प्रस्ताव के माध्यम से विकास खास ^{अधिकारी} राजगढ़ के ग्राम पंचायत नैरी कोरली के सहमती प्रस्ताव के साथ अनुसूच विमा जाता है कि इस को अगामी कार्यवाही करते हुए निर्माण के स्वीकृती प्रदान कर कृताश करे।

प्रस्ताव नं 4 :- वन अधिकारों के मान्यता के अन्तर्गत व्यक्तिगत दायों के स्थापन एवं मान्यता अनुमोदना एवं सम्पत्ति से प्राप्त होने वाले ग्रामवासियों द्वारा पूर्व प्रस्तुत व्यक्तिगत वन अधिकार कानून 1988 एवं 1988 के अन्तर्गत वन अधिकारों की मान्यता की धारा 3 (1) (क) एवं अन्तर्गत वन भूमि में निवास करने वाले अनुसूचित जनजाति कोर अन्य परम्परागत वन निवासियों के निवास एवं जीविक के लिये खेती करने के लिये वन भूमि को धारित करने को विस्तार से चर्चा हुई किसी भी गण वही न व्यक्तिगत दायों को आपत्ति नहीं उठाई एवं सभी न निर्माण व्यक्तियों द्वारा धारित वन भूमि को अधिनियम के अन्तर्गत प्रविष्टा होने एवं नियमावली अधि दिये जाने को सहमती जताई। इस को प्रस्ताव धारित कर ग्राम पंचायत नैरी कोरली से अनुसूच विमा जाता है कि पंचायत निर्माण व्यक्तियों दायों को पंचायत का अनापत्ति प्रस्ताव एवं सहमती प्रस्ताव प्राप्त करे ताकि इस विषय में अगामी कार्यवाही प्रण को जा सके। निर्माण व्यक्तियों के व्यक्तिगत दायों को सहमती दी गई।

- अनुप्रमाणित**
- (1) कुलदीप सपुत्र श्री अमोहन सिंह पुत्र धारपुरा
 - (2) अमेश चन्द पुत्र सुभित्रा पुत्री नन्दु ग्राम डैणा
 - (3) देव प्रकाश पुत्र विमल सिंह पुत्र नन्दु ग्राम डैणा
 - (4) सुरेश पुत्र वृद्ध सु पुत्र नन्दु ग्राम डैणा

किसी भी गण वही न निर्माण व्यक्तियों के व्यक्तिगत दायों को सहमती दी गई।

"संधे शक्ति कलियुग"

"जय शिरगुल महाराज"

वनामित वनस्वः

सत्यमेव जयते !



वन अधिकार समिति

राजस्व ग्राम सनोहत

डाकघर ^{शोभा खान} ~~राजगढ़~~, तहसील राजगढ़

विकास खण्ड राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) - 173 101

क्रमांक :-

रजि0 न0 :

दिनांक :-

नकल प्रस्ताव दि० ०८.१२.२०१९

आज दिनांक ०८.१२.२०१९ को वन अधिकार समिति राजस्व ग्राम सनोहत की बैठक प्रधान ~~शोभा खान~~ अध्यक्षता में ग्राम सनोहत में सफाई १.०० बजे आयोजित हुई। इस बैठक में समिति की गण शक्ति के अग्रदूत निर्माणा प्रस्ताव विचार विमर्श पश्चात एक सभ्यता से पारित किया गया।

प्रस्ताव नं० १ : लोकनिर्माण विभाग डविजन राजगढ़ द्वारा कोटली - सनोहत - डीणा सड़क निर्माण पर सभ्यता से पारित हुआ कि उपरोक्त सड़क का निर्माण ग्राम सनोहत के वन क्षेत्र में प्रस्तावित है जिसके अन्तर्गत वन क्षेत्र की भूमि का उपयोग की स्वीकृति हेतु वन अधिकार समिति के सभ्यता से सर्व अनुरोध पदान करने के लिए काज की बैठक में विचार विमर्श किया गया। सभी उपरोक्त सभ्यता से वन क्षेत्र के सड़क निर्माण के प्रस्तावित कार्य के उपयोग के उद्देश्य को पूरी तरह समझने के बाद वन भूमि के उपयोग को सभ्यता से पारित किया। इस बैठक में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकार) के मात्रता अधिकार सड़क के अन्तर्गत वन अधिकार के दायरे के निर्धारण पर कार्य के उपरान्त सभी प्रकार की प्रक्रिया पूरी करने के उपरान्त वन क्षेत्र की भूमि का लोकनिर्माण विभाग द्वारा सड़क निर्माण के लिए उपयोग की सभ्यता से पारित की जाती है व इस को किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं। अतः इस प्रस्ताव के जाचक प्रस्तावनेारी कोटली से सभ्यता से सन्तुष्ट है।

अनुप्रमाणित

सूची संक

वन अधिकार समिति
बोजा सनोहत, या0 प्र0 नरी कोटली,
जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

ग्राम विभाग 08/12/2019 को वन अधिकार समिति की राजव राज सनोहत की बैठक श्री सुरेश कुमार की अध्यक्षता में ग्राम सनोहत में उपस्थित एकत्रे आयोजित हुई। इस बैठक में समिति की शर्तों के उपरान्त निम्न प्रस्ताव विचार विमर्श के बाद सर्व सहमत ले पारित किया गया।

प्रस्ताव I - लोक निर्माण विभाग डिप्टी कमिश्नर राजगढ़ द्वारा कोरली सनोहत में सड़क निर्माण के सहमत ले पारित हुआ।

कि उपरोक्त सड़क का निर्माण ग्राम सनोहत के वन क्षेत्र में प्रस्तावित है। जिसके अंतर्गत वन क्षेत्र की भूमि को उपयोग की स्वीकृति देते वन अधिकार समिति के सहमती एवम अनुमति प्रदान करने के लिए आज की बैठक में विचार-विमर्श किया गया। सभी आप्रियत सदस्यों ने वन भूमि के सड़क निर्माण के प्रस्तावित कार्य के उपयोग के इच्छुक को पूरी तरह समझ के बाद वन भूमि के उपयोग को सहमत प्रकट की। इस बैठक में अनुसूचित जन जाति एवम अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों के अधिनियम 2006 व 2008 के अंतर्गत वन अधिकारों के दावा के निपटारे पर चर्चा के अंतर्गत वन क्षेत्र की भूमि का लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क निर्माण के लिए उपयोग की सहमती प्रदान की जाती है। व इसके किसी को किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं है।

इस प्रस्ताव के अधिन ले ग्राम पंचायत नैरी कोरली ले सहमत को अनुरोध है। लोक निर्माण उपमंडलीय अधिकार समिति ले जवाबी

अध्यक्ष / सचिव

वन अधिकार समिति
गंजा सनोहत, गा ५८ नरी कोरली
जिला सिरमौर (हि: ५०.)



कार्यवाही हेतु उत्तुत किया जा लके।
कारक से अस्थित
सदस्यों व श्रम वासियों के हस्ताक्षर निम्न प्रकार ले हो

ना
या

1	उद्यान - सुकेश	...	लक्ष्मण	19	...
2	कैलाश - सतीश	...	राजेश्वर...	20	Rampr
3	जय सिंह	जय सिंह	अनापल	21	...
4	लक्ष्मण	22	...
5	जयसिंह	Bhuj...	सुभाष...	23	...
6	सुरेश्वर...	24	...
7	...	परशुराम	...	25	Arun kumar
8	26	Babul kumar
9	...	Promida	...	27	...
10	28	...
11	29	...
12	सुषमा ठाकुर	सुषमा ठाकुर	पवन ठाकुर	30	...
13	...	Pradip...	...	31	...
14	32	Yogesh
15	कमला देवी	कमला देवी	कल्याण...	33	...
16	कमला देवी	कमला देवी	मिना देवी	34	...
17	35	Vishal
18	36	...
19	37	...

अनुपमोचित
...

...

Date 12
Page 12

738

सामंती 33

Sandull

सुरवदेव 39

Suravdev

सुरेश 40

Suresh

सन्तोष 41

Santosh

कृष्णा देवी 42

Krushna Devi

श्यामा देवी 43

Shyama Devi

शिशु देवी 44

Shishu Devi

रोहनी 45

Rohini Thakur

देवदत्त 46

Devdutt Thakur

अनीस 47

Anis

उषा देवी 48

Usha Devi

नारायण 49

Narayan

कमलेश 50

Kamlesh

रमदीप 51

Ramdeep Singh

विक्रम 52

Vikram

दीपक 53

Deepak

उमा देवी 54

Uma Devi

अमोलका 55

Amolka

लता देवी 56

Lata Devi

वेदप्रकाश 57

Vedprakash

सपना 58

Sapna Devi

पलका देवी 59

Palaka Devi

अंजू देवी 60

Anju Devi

विजय 61

Vijay Thakur

अनोप 62

Anoop

गिता देवी

Gita Devi

सुभाषिणी देवी

Subhashini Devi

अभिषेक

Abhishek

मेहरा देवी

Mehra Devi

मेहरा देवी

Mehra Devi

लखन

Lakhan

संजीव देवी

Sanjiv Devi

आशा देवी

Ashadevi

रीता देवी

Rita Devi

उमा देवी

Uma Devi

शिव

Shiv

शिव

Shiv

प्रवीण

Praveen

विष्णु देवी

Vishnu Devi

बन्तो देवी

Banto Devi

शिव देवी

Shiv Devi

जयसिंह

Jaysingh

जयसिंह

Jaysingh

जयसिंह

Jaysingh

चिराग

Chirag

सुमन

Suman

राहुल

Rahul

राहुल

Rahul

संजय

Sanjay

Handwritten signature

Handwritten signature and notes



Handwritten notes at the bottom right